

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक पं. 1(34)साप्र/5/2019पार्ट-2


जयपुर, दिनांक: 14.08.19

आदेश

राजस्थान राज्य के बोर्ड/कॉर्पोरेशन/अकादमियों/आयोगों के पूर्व अध्यक्षगण (जिन्हें राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त था) को पूर्व विधायकगण की भांति राजस्थान स्थित समस्त विश्राम भवनों में माह विशेष में केवल 5 दिवस तथा राजस्थान हाउस, नई दिल्ली में माह विशेष में केवल 3 दिवस तक राजकीय कटेगरी अ-111 (ग्रुप-सी) की दर पर आवास एवं भोजनादि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


उक्त सुविधा संबंधित के निवास स्थान के मुख्यालय पर देय नहीं होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


14/8/19
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके आई.डी. क्रमांक एफ 19002989 दिनांक 09.08.2019 के क्रम में।
2. निजी सचिव, वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निजी सचिव, वरिष्ठ शासन उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय।
8. समस्त बोर्ड/कॉर्पोरेशन/अकादमी/आयोग, राजस्थान।
9. समस्त प्रबंधक, विश्राम भवन, राजस्थान।
10. प्रबंधक, राजस्थान हाउस, नई दिल्ली।
11. रक्षित पत्रावली।


14/8/19
संयुक्त शासन सचिव